न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर

सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0) निगरानी 90-III-15

852
24.12.14

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

रामखेलवान पटेल तनय बिन्दू कुर्मवंशी पटेल उम्र 80 वर्ष, निवासी ग्राम धौचट, तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0 ———————निगरानीकर्ता

बनाम्

श्रीमती कौशिल्या सिंह पत्नी रघुनंदन सिंह, निवासी ग्राम सोहवल, तह0 रघुराजनगर, जिला सतना म0प्र0 ———————गैरनिगरानीकर्ता

श्री आर.डी. कुशवाहा एड. के द्वारा आज दिनांक 24.12.14 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय, संभाग रीवा म0प्र0 के राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 348/अपील/08–09 पारित आदेश दिनांक 08/04/2009

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

महोदय

क्रमांक 4219
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ...15 को प्राप्त
... सर्किट कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य :–

1– यह कि भूमि खसरा क्रमांक 1064 रकवा 1.846हे., स्थित ग्राम धौचट, तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0 की भूमि निगरानीकर्ता के स्वत्व आधिपत्य की है, जो स्वतंत्र रूप से निगरानीकर्ता के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित थी, उक्त आराजी का अंश रकवा 1.215हे., गैरनिगरानीकर्ता को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र ~~विक्रय पत्र~~ दिनांक 02/08/05 को चौहद्दी मुताबिक अंतरण किया गया, तथा पश्चिम तरफ निगरानीकर्ता के स्वत्व आधिपत्य की शेष भूमि अपने स्वत्व आधिपत्य में रकवा 1.52डि0 अपने कब्जे पर रखे रहा जिसमें स्वयं का रहायसी मकान व इदारा बोर पूर्व से जो स्थित है।

2– यह कि उक्त भूमि के अंश रकवा विक्रय दिनांक 02/08/2005 को निगरानीकर्ता अपना कब्जा चौहद्दी मुताबिक हटाकर गैरनिगरानीकर्ता को सौप दिया। कुछ दिन बाद नायब तहसीलदार

पेश कर्ता
रामखेलावन

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 1

प्रकरण कमांक R90-3-2015 जिला सतना रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश रामखेलावन / कौशल्या	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12 –01–2016	यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा के प्रकरण कमांक 348 / अपील / 08–09 में पारित आदेश दिनांक 08–04–09 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। आवेदक अधिवक्ता श्री आर.डी. कुशवाह के तर्को पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर विचारोपरांत अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 08.04.09 का परिशीलन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उठाए गये तथ्यों का विस्तृत विवेचन किए बिना आक्षेपित आदेश पारित कर प्रकरण ग्राह्यता के स्तर पर ही मात्र अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में अंकित तथ्यों के आधार पर निरस्त कर दिया गया है जो किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में यह भी अंकित किया गया है कि अर्जित अधिकार से अधिक भूमि का विकय पत्र संपादित किया गया है जिसे आधार मान कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखते हुए निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही समाप्त कर दी गयी है जबकि उन्हें प्रकरण में विधिवत सुनवाई कर अभिलेख अवलोकन पश्चात गुण दोष के आधार पर बोलता हुआ आदेश पारित करना चाहिए था। अतः प्रकरण में अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 08.04.09 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे प्रकरण के संलग्न प्रश्नाधीन आदेश में उल्लेखित सिविल न्यायालय के आदेश की विस्तृत विवेचना करें एवं उभयपक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए अभिलेख में आए तथ्यों के आधार पर विस्तृत एवं बोलता हुआ आदेश पारित करें। उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दा.रि. हो। **(आशीष श्रीवास्तव)** **सदस्य**	